प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2022**
प्र0इ0रि0 सं. 248 /2022............................दिनांक 20/6/2022..................

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण **(संशोधन)अधि. 2018**.......... धाराये..........7
(II) * अधिनियम.......... ....धारायें ....
(III) *अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....376....... समय ....6:00 P.M.
(ब) *अपराध घटने का वार..............दिनांक....13.05.2021 समय ....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....

4. सूचना की किस्म :–लिखित/मौखिक–**लिखित**
5. घटनास्थल :– .फ्लैट न 202, सनराईज अपार्टमेंट लाजपत मार्ग सी– स्कीम जयपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–............
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्रीमती स्वाती स्वामी
(ब) पिता/पति का नाम श्री कृष्णा नन्द स्वामी
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष........... ....
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....
(ल) पता – फ्लैट न 202, सनराईज अपार्टमेंट लाजपत मार्ग सी– स्कीम जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
1– डॉक्टर वरूण माथुर पुत्र श्री मनोज दत्त माथुर उम्र 31 पेशा डॉक्टर निवासी प्लॉट न 4, इन्द्रप्रस्थ डी, मॉर्डनं टावन मालवीय नगर जयपुर हाल डॉक्टर राजकीय नगरीय डिस्पेन्सी सेटर न 6 मालवीय नगर जयपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...
....––––...

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....
............................रिश्वती राशि ......73000/– रूपये

10. *चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य 73000/–

11. *पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

निवेदन है कि ब्यूरो मुख्यालय पर श्रीमती स्वाती स्वामी पुत्री श्री कृष्णा नन्द स्वामी निवासी किरायेदार फ्लैट न 202, सनराईज अपार्टमेंट लाजपत मार्ग सी–स्कीम जयपुर ने एक लिखित शिकायत इस आशय

की प्रस्तुत कि मै प्रार्थीया वर्तमान में एल.एल.बी. द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और अपने पैतृक गांव से भिन्न जयपुर शहर में शहीद भगतसिंह लॉ कॉलेज में अध्ययनरत हूँ। दिनांक 09.05.2021 को मुझे हल्की जुकाम, हलका बुखार व हाथ–पैरो में दर्द व थकान महसूस हुई। तब मैने आराम किया, लेकिन दूसरे दिन उपरोक्त लक्षण बढ गये तो मैने मेंरे पिता से गांव में टेलीफोन से सम्पर्क किया तो उन्होने सलाह दी कि लॉक डाउन की वजह से मैं नहीं आ सकता। किसी अच्छे डॉक्टर से सम्पर्क कर अपना टेस्ट व ईलाज करवावो। मैने माह अक्टूबर 2020 में डॉक्टर वरूण माथुर जो राजकीय डिस्पेन्सरी सेक्टर–6 मालवीय नगर में जनरल फिजीशियन है, से अपना जुकाम खासी का ईलाज करवाया था इसीलिए मैने उनको टेलीफोन कर अपनी शारीरिक स्थिति व लक्षणो के बारे में बताया। तब उन्होने मेरे लक्षण कोविड के बताये और वाट्सअप पर मुझे ईलाज का पर्चा लिखकर भिजवा दिया व आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के लिए कहा। इसका सैम्पल मैने लेब वालों को दे दिया व डॉक्टर साहब के पर्चे के अनुसार मैने दवाईयॉ मंगवाकर होम आईसोलेशन होकर ईलाज शुरू कर दिया। मेरी टेस्ट रिपोर्ट में सी टी वेल्यू 30. 89 है जो अत्यन्त कम मात्रा में इन्फेक्शन या वायरल लोड को दर्शाती है। मैने डॉक्टर वरूण माथुर के पेटीएम नम्बर पूछकर उन्हें 1,000 रूपये का पेटीएम भी कर दिया था। दिनांक 13.05.2021 को मुझे कमजोरी महसूस हुई और हाथ–पैरो में दर्द था और बुखार था। तब मैने डॉक्टर साहब को इस बाबत वाट्सअप पर लिखा और टेलीफोन पर भी बात की तब उन्होने मुझे घबरा दिया और स्थिति गम्भीर होना बताते हुये अस्पताल में भर्ती होने अथवा स्वयं के स्टाफ व स्वयं का टाईअप किया हुआ हैल्थ सर्विस प्रोवाईडर बताते हुये उसके द्वारा ही घर पर ईलाज करवा लेने की सलाह दी व कहा कि अस्पतालों में स्थिति खराब है अच्छा होगा कि तुम घर पर ही मेरे व्यक्तियों से ईलाज करवावो तो ठीक हो जाओगी। इस पर मैने उनको कहा कि मैं अपने गार्जियन से राय ले लेती हूँ। इस बाबत मैने अपने घर वालों से तथा अपने लोकल गार्जियन श्री तिरूपति जी को बताया तो उन्होने कहा कि तकनीकी रूप से मैं इसमें नहीं समझता हूँ डॉक्टर साहब ही विशेषज्ञ है वही बतायेगे और मेरे लोकल गार्जियन ने भी डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब ने उनको भी वही राय दी जो मुझे दी गई थी और कहा कि मैं अपने टाईअप किये हुये व्यक्तियो के माध्यम से बिटिया का घर पर ही ईलाज करवा दूंगा क्योकि उसका वायरल लोड बढ गया है। डॉक्टर साहब से वास्तविक स्थिति जानने हेतु इन्वेस्टीगेशन करवाने के लिए पूछा तो उन्होने कहा कि रिस्क हो जायेगी आप पांच दिन का ईलाज करवावो बिटिया ठीक हो जायेगी। पांच दिन तक उसको मेरे निर्देशन में इंजेक्शन लगेंगे और मेरा आदमी बच्ची के घर पर ही ड्यूटी देगा इसके 60,000 रूपये चार्जेज होंगे और दवाई व सामान का पैसा अलग से होगा और 60,000 रूपये आपको अभी एडवान्स देने पड़ेंगे तभी ईलाज शुरू हो पायेगा और दवाईयों के पैसे मौके पर दे देना। उस समय मैं बहुत घबरा गई। चूंकि डॉक्टर साहब ने 60,000 रूपये एडवान्स मांगा था एवं मेरे पास उस वक्त 10,000 रूपये थे जो मैने डाक्टर वरूण माथुर के कहने पर उनको पेटीयम कर दिये एवं 50,000 रूपये मैने अपने लोकल गार्जियन को देने के लिए निवेदन किया कि मेरे पास आयेंगे तब मैं आपको दे दूंगी तो उन्होने डाक्टर साहब को उनके निर्देशानुसार उनके बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रासफर कर दिये। डाक्टर साहब के टाईअप किये हुये व्यक्ति जिसका नाम मोनू था, से जब अनजान बनकर दिनांक 13.05. 2021 को बात की गई तो उसने बताया कि उसकी नर्सिंग की फीस प्रतिदिन 3500 रूपये है तथा उसने कहा कि जिस मरीज के लिए आप फैसीलिटी चाहते हो उस मरीज का ऑक्सीजन लेवल क्या है ? चूंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल 97 था वह इस मोनू नामक व्यक्ति को बताया तो उसने कहा कि इन्हें कोई नर्सिंग सहायता की जरूरत नहीं है और वह घर पर ऑरल दवाई से ही ठीक हो जायेगी। लेकिन जैसे ही उसको डॉक्टर वरूण माथुर का नाम बताया तब वह अपनी बात से बदल गया और कहा कि आपको डॉक्टर वरूण माथुर की राय माननी चाहिए उनका ईलाज बहुत अच्छा है जो 10,000 रूपये से 12,000 रूपये प्रतिदिन लेंगे, इसमें मेरे 3500 रूपये भी शामिल है। इसमें यदि जरूरत पड़ी तो हम ऑक्सीजन, वेन्टीलेटर की व्यवस्था भी करेंगे उसके लिए आपकों भटकने की जरूरत नहीं है, परन्तु उसके पैसे अलग से देने होगे। आप ठीक हो जाओगे। इसके बाद साय काल लगभग 9 बजे डाक्टर माथुर का एक कम्पाउण्डर अंकित योगी जिसके मोबाईल नम्बर 9950669291 है दवाईयॉ, ड्रीप व इंजेक्शन लेकर मेरे किराये के कमरे पर आया और उसे ड्रीप व इंजेक्शन देना शुरू किया, जिनका उसके पास कोई डाक्टरी पर्चा नहीं था। मैने डाक्टर साहब से बात की तो उन्होने कहा कि मेरे निर्देशन में काम हो रहा है आप पर्चा नहीं होने की कोई चिन्ता मत करो। डॉक्टर वरूण माथुर के सहयोगी मोनू जिसके मोबाईल नम्बर 9828867203 व 8104485509 है ने दवाईयों का बिल मुझे वाट्सअप कर दिया और पेमेन्ट 12,452 रूपये डाक्टर साहब को भिजवाने का निर्देश दिया, जिस पर मैने डाक्टर साहब को 12,000 रूपये का पेटीएम

किया। कम्पाउण्डर अंकित ने मुझे बताया कि यह डाक्टर वरूण माथुर इसी प्रकार अन्य लोगों के घर पर भी ईलाज कर रहा है और उन्हें घबरा कर इसी प्रकार लाखों रूपये ऐठता है और उसने यह भी बताया कि जो इंजेक्शन आपको 2575 रूपये में दे रहा है उसकी बाजार में कीमत लगभग 375 रूपये है और ऐसे आपको दर्जनो इंजेक्शन देगा और यह इंजेक्शन उसके पास सुबह–सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में एक स्वीफ्ट गाड़ी या कभी–कभी एक वेन आकर दे जाती है और अब उस इंजेक्शन के 2575 रूपये की बजाय 3250 रूपये प्रिन्ट कर दिये है आपको तो फिर भी रियायत में 2575 रूपये के प्रिन्ट वाले भिजवाये है और इसके अलावा कुछ इंजेक्शन आपको स्टेरोईड के भी दिये जायेंगे जिससे आपका शुगर का लेवल इन्कीज हो जायेगा, लेकिन हम इन्सुलीन देकर उसे ठीक कर देंगे और आपके ब्लड में भी कलोटिग आयेगी उसे रोकने के इंजेक्शन भी अलग से देंगे। मैने अंकित के सारे कथन रिकॉर्ड कर लिये। डाक्टर किस प्रकार अपने सहयोगी मोनू और अन्य अज्ञात सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी रेपर अधिक कीमत का प्रिन्ट करवाकर दवाई तैयार करवाता है और कोविड–19 महामारी में मरीजों को घबरा कर लाखों रूपये वसूलता है। उक्त चिकित्सक द्वारा मोनू व अंकित के माध्यम से भिजवाये गय मेरोपेनम दवाई के 500 एम जी के इंजेक्शन है और उसकी कीमत जो बीडी मेरोनी के नाम से प्रिन्टेड है। जबकि इसी मेरोपेनम 500 एम जी दवाई का प्रतिष्ठित कम्पनियों जैसे निओन, ग्लेनमार्क, एरिष्टो, ल्यूपीन, सिपला आदि का मूल्य 102 रूपये से लेकर अधिकतम 583 रूपये का है। मुझे शक होने पर दूसरे दिन सुबह मैने अपने गार्जियन को यह बात बताई तो मेरे लोकल गार्जियन ने डॉक्टर वरूण माथुर से इस बाबत बात की तो उन्होने कहा कि मेरे निर्देशन में काम हो रहा है पर्चा नहीं है तब भी आप चिन्ता मत करो और स्टेरोईड मेरे निर्देशन में दिया जा रहा है उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा आप चिन्ता मत करो। इस बाबत मैने एक अन्य मिलने वाले डॉक्टर आलोक मितल जो विदेश में कार्यरत है, से वाट्सअप पर चर्चा की तो उसने टेस्ट कराने की सलाह दी और यह कहा कि स्टेरोईड देना खतरनाक हो सकता है आप चेस्ट का एक्सरे, सीबीसी, शुगर फास्टिंग, आईएल–6, सीआरपी, डीडाईमर, फरेटेनेन, एसजीओटी, एसजीपीटी टेस्ट करवावो, जिस पर मेरे द्वारा एक्सरे व टेस्ट करवाये गये तब यह सामने आया कि मेरे तो नहीं के बराबर इन्फेक्शन था। परन्तु इस लालची डॉक्टर ने पैसा बनाने के लिए अनावश्यक दवाईयॉ देकर मेरा जीवन खतरे में डाल दिया। दिनांक 14.05.2021 को भी सायंकाल इस डॉक्टर ने मोनू के यहां से कम्पाउण्डर के माध्यम से वही मेरोपेनम और अन्य इंजेक्शन भिजवाये। इसका बिल मोनू ने मुझे वाट्सअप पर भिजवाया जो 36,198 रूपये का है, जिसका पैसा मोनू दिनांक 15.05.2021 को सुबह आकर मुझसे नकद ले गया। इस प्रकार इस डॉक्टर ने दिनांक 13.05.2021 से 17.05. 2021 तक 5 दिन तक मुझे घबरा कर अवैध पारितोषण लेने के लिए अनावश्यक व फर्जी कीमत प्रिन्ट की एन्टीबाईटिक्स इंजेक्शन व स्टेरोईड दे दिये और मुझसे मजबूरी में अवैध रूप से 1,08,000 रूपये ऐठ लिये। इससे मेरा ब्लड कलोटिंग भी हो गया था व मेरा शुगर लेवल बढ गया। इंजेक्शन वाला कार्य पूर्ण होने के बावजूद भी क्या इंजेक्शन दिये है ? क्या ईलाज किया है ? इसका पर्चा दूषित आशय होने से डॉक्टर साहब ने मुझे नही भिजवाया। जबकि मैने उनसे कई बार तकाजा किया। दिनांक 18.05.2021 से डॉक्टर वरूण माथुर ने मुझे ऑरल गोलियॉ शुरू करने के लिए कहा और इसका पर्चा वाट्सअप पर भिजवाया। मेरे लोकल गार्जियन ने मुझे जीवन रक्षा हेतु अर्जेन्ट होने के कारण अपने वेतन खाते से डॉक्टर वरूण माथुर को 50,000 रूपये भिजवा दिये थे जिन्हे वापस करवाकर मेरे स्वयं के द्वारा डॉक्टर माथुर को देने के लिए रिक्वेस्ट की। उक्त सरकारी चिकित्सक अब 50,000 रूपये अंकल को वापस तभी करेगा जब मैं उसे नकद रूपये दूंगी या उसके खाते में ऑनलाईन भिजवाउंगी। इस प्रकार यह धारा 7 व 13 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम का अपराध कर चुका है व अभी भी 50,000 रूपये लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। दिनांक 13.05.2021 से 17.05.2021 तक के ईलाज का पर्चा बावजूद तकाजे के डॉक्टर वरूण माथुर ने नही भिजवाया तो मैने इस बाबत उनसे बार–बार तकाजे किये जो अन्तोत्गत्वा पर्चा दिनांक 21.05.2021 को समय 5.52 पीएम पर बैक डेट दिनांक 13.05.2021 डालकर भिजवाया। उसमें भी उसने उन पूरे इंजेक्शनस का वह नाम नहीं लिखा जो मुझे दिये गये थे। डॉक्टर वरूण माथुर की संदिग्ध गतिविधियो और धोखाधड़ी के कारण मैं अनावश्यक इंजेक्शन, स्टेरोईड देने की वजह से ब्लैक फंगस का भी शिकार हो सकती थी। मेरा शुगर लेवल अनावश्यक बढ गया है जबकि पहले मुझे कोई डाईबिटीज नहीं थी। मेरे खून में क्लोट होने लग गया तो शक होने पर मैने चिकित्सक परिवर्तन किया और इन्फेक्शन जांचने के लिए एचआरसीटी टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि मुझे तो चेस्ट में इन्फेक्शन था ही नही और मैं ऑरल दवाईयों से ही बिना स्टेरोईड के आसानी से घर पर ही ठीक हो सकती थी। लेकिन उपरोक्त डॉक्टर ने अवैध पारितोषण प्राप्त करने के लिए मेरा जीवन खतरे में डाल

दिया। जिस अन्य चिकित्सक से ईलाज शुरू करवाया, जिसने केवल ऑरल दवाईयॉ दी। डॉक्टर माथुर व उसके स्टाफ द्वारा मेरे ईलाज के दौरान मेरी स्थिति मोनीटर करने के लिए डॉक्टर माथुर के निर्देश पर उसके सहयोगी मोनू ने एक वाट्सअप ग्रुप बनाया। डॉक्टर वरूण माथुर के सहयोगी मोनू द्वारा मुझे वाट्सअप पर बिल भिजवाने और डॉक्टर साहब को 12,000 रूपये पेटीयम से भुगतान करने के लिए कहा। अंकित नाम का कम्पाउण्डर मेरा ईलाज करने आया। अंकित द्वारा पेशे की ईमानदारी बरतते हुये यदि मुझे डॉक्टर के फर्जीवाड़े का ज्ञान नहीं करवाया जाता तो उक्त डॉक्टर द्वारा की जा रही ब्लैक मार्केटिंग और अवैध रूप से स्टेरोईड देने और मेरा जीवन खतरे में डालने के तथ्य से मैं समय पर अवगत नहीं होती और इस डॉक्टर की बजाय अन्य डॉक्टर से सलाह व ईलाज लेने नहीं जाती तो हो सकता है कि मुझे इस डॉक्टर के कुकृत्य से जान से हाथ धोना पड़ता। घटना के समय मैं कोविड पॉजीटिव थी, इसलिए संक्रमण की वजह से तथा उक्त डॉक्टर द्वारा भारी मात्रा में अनावश्यक दवाईयॉ इंजेक्शन देने के कारण मेरी हालत भी खराब हो गई थी इस वजह से श्रीमान के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने नहीं आ सकी। अब कोविड नेगेटिव हो जाने के कारण श्रीमान के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का गई हूँ। अतः निवेदन है कि ऐसे अवैध पारितोषण लेने वाले सरकारी चिकित्सक जो लोकसेवक है के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एवं दवाईयों की ब्लैक मार्केटिंग, फर्जी रेपर छपवाने, अधिक कीमत वसूलने, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लघंन कर अनावश्यक व खतरनाक दवाईयॉ देने, अपने लाभ के लिए मेरा जीवन खतरे मे डालकर बिना पर्चा के खतरनाक इंजेक्शन लगा देने के अपराध के लिए उसे दण्डित करने हेतु गिरफ्तार करवाया जावें एव उसके इसी प्रकार अन्य लोगों से भी अवैध वसूली की है। वगैराह रिपोर्ट पर प्राथमिक जांच संख्या 1–2–05/2021 दर्ज होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा जांच की गई। शासन संयुक्त सचिव चिकित्सा एंव स्वास्थ्य ग्रुप–2 विभाग जयपुर के पत्रांक प. 06(2)चिस्वा./2/2022 दिनांक 21.03.2022 से भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17 ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की गई।

अब तक की सम्पूर्ण जांच/दस्तावेजात एंव बयानात से पाया गया कि परिवादिया स्वाती स्वामी जयपुर में किराए के मकान में रहकर नौकरी व पढाई कर रही है। दिनांक 09.05.2021 को सर्दी जुकाम व थकान महसूस होने पर उसके द्वारा डॉ0 वरूण माथुर (इंचार्ज राजकीय डिस्पेन्सरी सैक्टर–6 मालवीय नगर) से संपर्क किया। जिनके बताए अनुसार आरटीपीसीआर टैस्ट करवाए जाने पर परिवादिया की रिपोर्ट में उसका कोविड पोजिटिव होना पाया गया। डॉ0 वरूण माथुर ने परिवादिया को होम आईसोलेशन होकर इलाज करवाने को कहा जिसकी स्वंय द्वारा पूरी व्यवस्था कर देने बाबत बताया। तत्पश्चात परिवादिया द्वारा डॉक्टर वरूण के पेटीयम खाता में 1000,10,000,12000 व बैक खाता में 50,000 रूपये स्थानान्तरित किये गये। दिनांक 13.05.2021 से दिनांक 17.05.2021 तक परिवादिया का घर पर ईलाज मोनू हैल्थ केयर से चला, जिसमें परिवादिया को कुल 59102 की दवाईया दी गई तथा नर्सिंग स्टॉफ व अन्य सुविधा के 50000 रूपये कुल राशि 109102 रूपये हुई। जिसमें से परिवादिया से 73,000 रूपये का ऑन लाईन भुगतान प्राप्त करना पाया गया। डॉ0 वरूण माथुर द्वारा प्राईवेट प्रैक्टिस की गई है, जबकि खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांगानेर जयपुर, द्वितीय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ वरूण माथुर नोन प्रैक्टिस अलाउन्स प्राप्त कर रहे थे, जो नियम विरूद्व है। डॉ वरूण माथुर लोकसेवक होते हुऐ अपने पद का दुरूपयोग करते तथा नोन प्रैक्टीस अलाउन्स प्राप्त करते हुऐ भी नियम विरूद्व परिवादीया को कोरोना महामारी का भय दिखाकर इलाज के नाम पर 73000 रूपये स्वयं के खाता में अवैध रूप से प्राप्त कर भ्रष्टाचार करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः श्री वरूण माथूर, जनरल फिजीशियन, राजकीय नगरीय डिस्पेन्सरी, सेक्टर–6, मालवीय नगर, जयपुर का कृत्य प्रथम दृष्टया धारा–7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 में अपराध पाया जाने से बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।

(वंदना भाटी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर–चतुर्थ जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती वंदना भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त डॉ. वरूण माथुर, जनरल फिजिशियन, राजस्थान शहरी डिस्पेन्शरी, सेक्टर 6, मालवीय नगर, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 248/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2184-89 दिनांक 20.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-1,जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर।
6. अति. पुलिस अधीक्षक-परि, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर (पीई.-1-2, 5/21)।

20.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।